

(3)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad, DIST- Bhind (M.P.)

Case No.....

Complaint or report made on 20/02/17

Name and address of the Complainant.....

वायिके मजिस्ट्रेट प्रथम क्लास
गोहाट जिला सिविल कोर्ट

Name, parentage, caste and address of accused

श्रीराम मिश्र यादव S/O श्री रमेश मिश्र यादव
डा. 30 वीं नि. बगौरापुरा मुंदा.
बवा. का.प.

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 20/02/17 को समय लगभग 03:00 बजे, स्थान
गोहाट में वाहन 955 को
अंतर्गत थाना गोहाट में वाहन 955 को
MP07, HB 5160 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत
को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो
कि भा0द0वि0 की धारा 339 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय
के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)


The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 20-7-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा०द०वि० की धारा 279(1)(b) के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भा.द.वि. की धारा 279 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भा.द.वि० की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन 5-11-2017 को MP-07 H.B566 को उसके प्रंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित


A.R. Gupta
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt: Bhind (M.P.)